अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौडगढ

सांवतसिंह वगैरह ।। बनाम ।। किशन वगैर

किस्म मुकदमा प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए मुकदमा नम्बर.40 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2020/00058	
06.2020	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रईस मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात **मौजा खोखरियाखेडी पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर मे स्थित खाता संख्या 208 मे अंकित आराजी नम्बर 37, 38, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 121, 122 कुल किता – 15 कुल रकबा 6.28 हैक्टेयर** स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद मे नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचाने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जेर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड होकर उन्हे नपती कराने का स्वत्व निहित है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी मे **मौजा खोखरियाखेडी पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर मे स्थित खाता संख्या 208 मे अंकित आराजी नम्बर 37, 38, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 121, 122 कुल किता – 15 कुल रकबा 6.28 हैक्टेयर** भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे कास्त मे दखल अन्दा[illegible] बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे [illegible] पक्षकारान के जारी सूचना पत्र न्यायालय मे [illegible] हुक्मनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया ज[illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । (अंजु शर्मा) उपखण्ड अधिकारी भदेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner